स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 232, दिनांक 21–09–2020

अन्तर्राज्यीय स्तर पर असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य 04 अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 21–09–2020 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्यों को 04 अदद पिस्टल मय मैगजीन सहित जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1– विनय कुमार पुत्र टीकम सिंह, नि0 अनामिका टाकिज, गुलाब नगर, टुण्डला फिरोजाबाद।

2– आदित्य प्रताप वैश्य पुत्र रतन सिंह वैश्य, नि0 रामलीला मैदान, जनकपुरी टुण्डला फिरोजाबाद।

3– बंशी ठाकुर पुत्र विजय सिंह, नि0 जसराना, मोहल्ला टीकतपुरा, जसराना, फिरोजाबाद।

बरामदगी :–

1. 04 अदद पिस्टल .32 बोर।
2. 08 अदद मैगजीन .32 बोर।
3. 02 अदद मोबाईल फोन।
4. 02 अदद आधार कार्ड।
5. 01 अदद पैन कार्ड।
6. रूपये 1,030/– नगद।

गिरफ्तारी का स्थानः–

इन्दिरा नहर पुलिया, थाना चिनहट लखनऊ दिनांक 21.09.2020 समय 19.10 बजे।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय असलहा तस्कर गिरोह के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। इस सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एसटीएफ मुख्यालय, लखनऊ स्थित टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय स्रोत के माध्यम से ज्ञात हुआ कि आज दिनांक 21–09–2020 को असलहा तस्करी करने वाले गिरोह के 03 सक्रिय सदस्य बिहार राज्य के मुगेर से अवैध असलहा की खेप लेकर इन्दिरा नहर पुलिया, थाना चिनहट लखनऊ के पास आने वाले है। इस सूचना पर उ0नि0 करूणेश पाण्डेय के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर रवाना की गयी। एसटीएफ टीम उक्त स्थान पर

पहुंचकर घेराबन्दी कर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए उक्त तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उसने बाबू नाम के व्यक्ति जो मुगेर (बिहार) का रहने वाला है, से अवैध पिस्टलों को तैयार कराकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में बिक्री करने का नेटवर्क बनाया है। जिसमें यह लोग प्रति माह 25–30 पिस्टलें तैयार कराकर बिक्री कर देते है। साथ ही यह भी बताया कि एक पिस्टल बनाने का कुल खर्च लगभग 10 हजार का आता है, जिसे विभिन्न शहरों में खरीददार को 25 से 30 हजार रूपये में बेचते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना चिनहट, जनपद–लखनऊ पर मु0अ0सं0 621, 622, 623/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।